न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./3974 /2004/जैसलमेर

1.कन्हैयालाल
2 वासुदेव
पुत्रगण थिरपाल पालीवाल
3. श्रीमति गोमती पत्नि बाबूलाल पालीवाल
समस्त निवासी गाँव लवा तहसील पोकरण जिला जैसलमेर ।

अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार

रेस्पोडेण्ट

खण्ड–पीठ
श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष
श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री वी.पी.सिंह, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 10.7.18

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–6–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी के पक्ष में दिनांक 18–8–80 को दावा डिक्री किया था किन्तु बाद में माननीय उच्च

न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय की पालना में विचारण न्यायालय ने दिनांक 24-1-04 को अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील किए जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15-6-2004 से अपील खारिज कर दी । ग्राम लवा तहसील पोकरण में स्थित आराजी खसरा नंबर 471 रकबा 80 बीघा अपीलाण्ट की खातेदारी के के खसरा नंबर 755 के निकट स्थित है अपीलाण्ट का इस भूमि पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक 15-10-55 से कब्जा काश्त चला आ रहा है ।अपीलाण्ट के द्वारा इस भूमि का लगान भी दिया जाता रहा है किन्तु ठिकाना पोकरण के द्वारा लगान की कोई रसीद उन्हें नहीं दी गई बाद में उन्होंने लगान देना बंद कर दिया । अपीलाण्ट इस भूमि को खसरानंबर 755 का हिस्सा ही मानते रहे थे जिससे उन्होंने सेटलमेंट विभाग में चाराजोही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की है कि पोकरण ठिकाना ने पैदावार का लगान दिया है और काश्त नहीं दी है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 15-6-2004 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गई है ।

सहायक कलेक्टर, पोकरण ने अपने निर्णय दिनांक 24-1-2004 में यह माना है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जो इस वाद को साबित करने की दृष्टि से महत्व का हो । वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-13 व 14 नकल खसरा गिरदावरी तथा प्रदर्श-9 नकल जमाबन्दी में जो वादीगण के नाम प्रविष्टि है वह न्यायालय के निर्णय की पालना में की गई है जो राजस्व मण्डल एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निरस्त कर दी गई । अतः इस प्रविष्टि का अब कोई महत्व नहीं रहा है । लगान की रसीदें पेश की गई है वे भी डिक्री की पालना में अमलदरामद होने के बाद जमा कराई गई है इसलिए इनका भी कोई महत्व नहीं रहा है चूंकि निर्णय व डिक्री निरस्त हो चुकी है वादीगण ने वक्त जागीर से वादग्रस्त भूमि का कब्जा साबित करने हेतु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहींकिया है जो भी मौखिक साक्ष्य इस मामले में प्रस्तुत की है उसमें कुछ गवाहान ने तो लगभग एक

दूसरे से मिलते जुलते बयान दिए है । इस प्रकार गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने से इन्हें विश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि दिनांक 15-10-55 की वादी की वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में क्या स्थिति टिनेन्ट के समान थी वादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि उनके द्वारा भूमिका पट्टा प्राप्त करने की कार्यवाही सेटलमेंट विभाग से की थी । वादग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 755 का पटटा सेटलमेंट विभाग से मिल चुका है । इसलिए वादीगण को इस वादग्रस्त खेत का पट्टा सेटलमेंट विभाग से नहीं मिलने पर नियमानुसार सेटलमेंट विभाग में उज्रदारी प्रस्तुत करनी चाहिए थी । जिससे वादीगण का वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है । ।

उक्त दावे की अपील अपीलाण्ट/वादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, के न्यायालय में की गई । उन्होंने अपने आदेश दिनांक 15-6-2004 में यह माना है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद में विवादित आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है विवादित आराजी में वादीगण/अपीलाण्ट का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव मेंआने के समय से निरंतर चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट के लिएयह अनिवार्य हो जाता है कि वह विवादित आराजी पर बतौर टिनेन्ट अपना कब्जा साबित करे । वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है जिससे वह टिनेन्ट साबित होता हो । जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार विवादित आराजीयात पर अधिक से अधिक उसका कब्जा होना माना जा सकता है किन्तु बतौर टिनेन्ट कब्जा होना नहीं माना जा सकता है यह कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से माना जावेगा जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री न्यायोचित एवं विधिसम्मत पाई जाती है एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः अपील खारिज कर दी ।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषकगण अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कथन है कि दिनांक 15-10-55 से ही उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें उनके द्वारा मौखिक साक्ष्य करवाई गई है जब लगान की रसीदें ठिकाना द्वारा नहीं दी जाती है तो उनके द्वारा दस्तावेजी सबूत कैसे पेश किया जाता । ऐसी स्थिति में मौखिक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही उनका दावा डिक्री किया जाना चाहिए था । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

5. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषकगण ने तर्क दिया कि विवादित आराजीयात पर अपीलाण्ट का कब्जा टिनेन्ट की हैसियतसे नही है यदि वे अपना कब्जा टिनेन्ट की हैसियत से मानते है तो इस संबंध में उन्हें दस्तावेज पेश करने चाहिए जिससे उनकी अपील में कोई सार नही है अतः अपील खारिज की जावें

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट की ओर से मुख्य आधार यही है कि वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक 15-10-55 से बतौर टिनेन्ट की हैसियत से काबिज थे जब कि इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । केवल मोखिक साक्ष्य के आधार पर इन्हें टिनेन्ट नहीं माना जा सकता है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43(5) में जो टिनेन्ट की परिभाषा दी गई है उसके अनुसार अपीलाण्ट टिनेन्ट की परिभाषा में नहीं आता है । अपीालण्ट का कब्जा मात्र अतिक्रमी की हैसियत से है और अतिक्रमी को किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिल पाते हैं यदि सेटलमेंट विभाग के द्वारा उनहें खातेदारी अधिकार दिए नहीं गए हैं तो इस संबंध में उनके द्वारा कार्यवाही की जानी

चाहिए थी जो रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है । अपीलाण्ट का यह कथन मानने योग्य नहीं है क उनके द्वारा लगान पोकरण ठिकाना को पैदावार के आधार पर दिया जाता है और उसकी कोई रसीद नहीं दी जाती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय यथावत रखे जाते है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष